

10.4.17

पत्रावली पेश हुई। वकुलाम उपस्थित/पीठासीन
अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने कारण
पत्रावली दिनांक 23.5.17 को पेश हो।

राजस्व लोक अदालत कैम्प सादर

30/6/17

पत्रावली प्रस्तुत हुई।
वादी एवं प्रतिवादीगण के
पत्रावली का डिलीवरी किया।
वादी की ओर से प्रतिवादीगणों
को तलबों के लिए दिनांक
23.8.16 के आदेश की पालना
में आदिनांक P/F समन पेश
नहीं किए गए हैं। वादी द्वारा
P/F एवं समन पेश करने में
असफल रहने से आदेश-9 नियम-2
में उल्लेखित प्राधानों के अनुसार
वादी वादी स्वरिज किया जाता
है। पत्रावली फाइल शुमार डीकर
सरका से कम हो।

SDD देवरी